न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 17/2021

दायर दिनांक :– 02.03.2022

अनदान

1. बिन्टी पुत्री उगमा मीणा नि. नला का झुपडा धांधोला तह. जहाजपुर
2. अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा नि. नला का झुपडा धांधोला तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण.......

बनाम

1. कैलाशी पत्नि उगमा मीणा नि. नला का झुपडा धांधोला तह. जहाजपुर
2. रेखा पुत्री उगमा मीणा नि. नला का झुपडा धांधोला तह. जहाजपुर
3. रोशन पिता उगमा मीणा नि. नला का झुपडा धांधोला तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी.......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री शैतान सिंह राणावत, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश ::

दिनांक 16.03.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया में स्थित कृषि भूमि संवत 2076–2079 में स्थित खाता संख्या 326 की आ.न. 1015, 1033, 1036, 1042/1, 1053, 1054, 1137, 641, 642, 643, 865, 866 कुल किता 12 रकबा 3.1212 हैक्टेयर तथा ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया में स्थित खाता संख्या 167 की आ.न. 1050 कुल किता 1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर तथा ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया मे स्थित खाता संख्या 327 की आ.न. 1056 कुल किता 1 रकबा 1.7928 हैक्टेयर मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजियात में विरासत से नामान्तरण दर्ज करते समय

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

तत्कालीन पटवारी द्वारा बिना सखातेदारों व अन्य गांव के मौतबीरान व्यक्तियों से प्रार्थीगण के नाम की जानकारी किये प्रार्थी सं. 1 का नाम बिन्टी पुत्री उगमा मीणा होते हुये भी राजस्व रेकार्ड में आशा पुत्री उगमा मीणा कर दिया गया तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा होते हुये भी राजस्व रेकार्ड में नरेश पिता उगमा मीणा कर दिया गया, जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विघालय रेकार्ड में बिन्टी पुत्री उगमा मीणा तथा अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा के नाम से बने हुये है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम आशा पुत्री उगमा एवं नरेश पिता उगमा दर्ज होने से प्रार्थीगण को सरकार की और से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है। जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में सही नाम अंकन कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से अनेको बार निवेदन किया गया परन्तु आज तक भी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम आशा पुत्री उगमा एवं नरेश पिता उगमा ही दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में खातेदार का नाम आशा पुत्री उगमा एवं नरेश पिता उगमा का नाम विलोपित कर उनकी जगह बिन्टी पुत्री उगमा एवं अक्षय कुमार पिता उगमा नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रार्थीगण बहक अप्रार्थीगण पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थीगण के नाम में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 15.03.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें बताया कि आशा पुत्री उगमा मीणा को बिन्टी पुत्री उगमा मीणा के नाम से जाना जाता है, तथा नरेश पिता उगमा मीणा को अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा के नाम से जाना जाता है। आशा पुत्री उगमा व बिन्टी पुत्री उगमा, नरेश पिता उगमा व अक्षय कुमार पिता उगमा दोनो नाम के एक ही व्यक्ति है। जो पत्रावली के संलग्न है। साक्ष्य स्वरूप आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विघालय रेकार्ड तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली के संलग्न है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का नाम आशा पुत्री उगमा मीणा के बजाय बिन्टी पुत्री उगमा मीणा एवं नरेश पिता उगमा मीणा के बजाय अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा नाम में शुद्धी कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीगण का नाम आशा पुत्री उगमा मीणा के बजाय बिन्टी पुत्री उगमा मीणा एवं नरेश पिता उगमा मीणा के बजाय अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

दर्ज कर शुद्धि किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया में स्थित कृषि भूमि संवत 2076–2079 में स्थित खाता संख्या 326 की आ.न. 1015, 1033, 1036, 1042/1, 1053, 1054, 1137, 641, 642, 643, 865, 866 कुल किता 12 रकबा 3.1212 हैक्टेयर तथा ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया में स्थित खाता संख्या 167 की आ.न. 1050 कुल किता 1 रकबा 0.0324 हैक्टैयर तथा ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया में स्थित खाता संख्या 327 की आ.न. 1056 कुल किता 1 रकबा 1.7928 हैक्टैयर में सहखातेदार आशा पुत्री उगमा मीणा के बजाय बिन्टी पुत्री उगमा मीणा एवं नरेश पिता उगमा मीणा के बजाय अक्षय कुमार पिता उगमा मीणा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner